<u>प्रकरण संख्या 23/2020 मु. टांकूबाई बनाम सुरेश</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.04.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खेरोदा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ठ ''अ'' की आराजी नंबर 2380, 2381, 2394, 2396, 2397, 1141, 1142, 1146, 1823, 2021, 2404, 2405, 2406, 2486/1, 2486/2 कुल किता 15 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वेणीराम पिता सूरजमल, रामा, गमेरिया पिता भेरा जाट के नाम हि.ब. से दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 2438 दिनांक 01.09.1999 से विरासत से वेणा के बजाय मु. घीसीबाई, सुरेशचन्द्र, मंजू, सुन्दर के नाम दर्ज हई। नामान्तरकरण संख्या 2866 दिनांक 20.07.2005 से जरिये हक त्याग सुरेशचन्द्र, मंजू, सुन्दर पिता वेणीराम, घीसीबाई बेवा वेणीराम 1/3 हिस्सा के बजाय सुरेश पिता वेणीराम के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार परिशिष्ठ ''ब'' की आराजी नंबर 2402, 2403 कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि रामा, गमेरिया पिता भेरा जाट के नाम दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 2437 दिनांक 01.05.1995 से जरिये विक्रय गमेरिया का 1/2 हिस्सा वेणीराम पिता सूरजमल जाट के दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा नामान्तरकरण संख्या 2642 दिनांक 20.05.2002 विरासत से वेणीराम 1/2 हिस्सा के बजाय मंजू, सुन्दर पिता वेणीराम, घीसीबाई बेवा वेणीराम दर्ज हुई। नामान्तरकरण संख्या 2866 दिनांक 20.05.2005 से जरिये हक त्याग सुरेश, मंजू, सुन्दर पिता वेणीराम, घीसीबाई बेवा वेणीराम 1/2 के बजाय सुरेश जाट के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इस प्रकार परिशिष्ठ ''अ'' की कुल किता 15 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा [illegible] का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 रामा तथा प्रतिवादी संख्या 2 गमेरिया का 1/3 हिस्सा होकर इसी प्रकार हक व आधिपत्य चला आ रहा है, किन्तु मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। इसी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:11:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार परिशिष्ठ ''ब'' की कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा में गमेरिया द्वारा अपना 1/2 हिस्सा वादी के पिता वेणीराम को दिनांक 01.01.1990 से विक्रय करने के बाद से 1/2 हिस्से पर वादी का अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा 1/2 हिस्सा रामा का है तथा मौके पर सुविधानुसार बांटकर आधिपत्य चला आ रहा है, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाद पत्र की परिशिष्ठ ''अ'' व ''ब'' में वर्णित भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा परिशिष्ठ ''ब'' की आराजी नंबर 2402 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में वादी के आ.चा. का वादी को तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामा के आ.चा. का रामा को खातेदार काश्तकार घोषित जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.06.2015 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 02.03.2016 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 18.02.2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गदिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसके जवाब में अपीलान्ट द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:11:13 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी उन्हें दिनांक 27.01.2020 को तब हुई जब

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रास्ते के पास स्थित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहा। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस एवं अपील मीमों एवं में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि पर्चा मौका तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा एकतरफा पर्चा मौका बनाया गया है, जिस पर अपीलान्ट के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 के पक्ष में नुमाईशी विक्रय किया गया है, क्योंकि उक्त भूमियों पर कब्जा अपीलान्टगण का चला आ रहा है तथा क्रेता द्वारा कोई कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 पेज 221 एवं आर.बी.जे. 2019 पेज 751 का हवाला देते हुए बताया कि बंटवारा तहसीलदार द्वारा नहीं किये जाने के कारण प्रकरण नये सिरे से बंटवारा करने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण राजस्थान रेवेन्यू नियम की धारा 18 से 21 अनुसार निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि आराजी नंबर 239[illegible] बीघा 8 बिस्वा भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वा[illegible] संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय [illegible] प्राप्त किया गया है, तब से निरन्तर उनका कब्जा चला आ र[illegible] है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की सहमति से जारी की गयी है। अतः अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:11:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री यथावत रखी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो फर्द बंटवारा संलग्न है, वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार गया तथा उक्त फर्द बंटवारे पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, सिर्फ वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के ही हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में उक्त एकपक्षीय फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 02.03.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में स्वयं तहसीलदार वल्लभनगर पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवारे पर यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो सर्वप्रथम उसका निराकरण करते हुए प्रकरण में राजस्थान रेवेन्यू नियम की धारा 18 से 21 अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.06.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:11:13 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर